भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1132
बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 / 22 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

अनाज भंडारण योजना

1132. **श्री प्रमोद तिवारी:**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत सरकार द्वारा हाल ही में कोई विकास कार्य किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस नई योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटीज़ (पीएसीएस) को कोई संभार तंत्रीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" की मंजूरी दे दी है, जिसे पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जा चुका है । इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (एसएमएएम), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अभिसरण से पैक्स स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं, जैसे कि, गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित दर की दुकानों, आदि की स्थापना शामिल है।

पैक्स स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना से पर्याप्त भंडारण क्षमता सृजित होगी, जिससे खाद्यान्न की बर्बादी में कमी आएगी, देश की खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होगी, फसलों की विवशतापूर्ण बिक्री को रोका जा सकेगा और किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। चूंकि पैक्स खरीद केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के रूप में भी काम करेंगे, इसलिए खाद्यान्न केंद्रों तक खाद्यान्न ले जाने और फिर गोदामों से उचित मूल्य की दुकान तक उसे वापस लाने पर होने वाले परिवहन व्यय में भी बचत होगी ।

योजना के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया है, जो आवश्यकतानुसार अभिसरण के लिए चिन्हित योजनाओं के दिशानिर्देशों/कार्यान्वयन पद्धतियों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत है। योजना के

समग्र कार्यान्वयन को संचालित करने और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा, आदि के लिए मंत्रालय/विभागों, केन्द्र सरकार की संबंधित एजेंसियों के सदस्यों को शामिल करते हुए एक राष्ट्र स्तरीय समन्वय समिति (एनएलसीसी) का भी गठन किया जा चुका है।

परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी तथा राज्य स्तर पर मौजूदा नीतियों/कार्यक्रमों के साथ इस योजना का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) का भी गठन किया जा चुका है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा नाबार्ड, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) आदि के सहयोग से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पायलट परियोजना कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और राष्ट्रीय सहकारी संघों जैसे कि, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए 1,711 पैक्स की पहचान की गई है। वर्तमान में, पायलट परियोजना के तहत 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 13 पैक्स में निर्माण कार्य चल रहा है।

इसके अतिरिक्त, परियोजना के तहत पैक्स स्तर पर बनाई जा रही भंडारण क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (भारत सरकार), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया है। यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा पैक्स स्तर पर निर्मित गोदामों को किराए पर लेने व इन गोदामों का खाद्यान्नों की आपूर्त श्रृंखला के साथ एकीकरण करने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे पैक्स को अपेक्षित संभार तंत्रीय सहायता मिलेगी।

*****